बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, **Email- bseapatna@gmail.com**, वेबसाईट : **https://bsea.bihar.gov.in**

प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) की मतदाता सूची से संबंधित त्रुटियों के निवारण के संबंध में।

आवश्यक सूचना

प्राधिकार के पत्रांक—1633 दिनांक 24.09.2024 एवं पत्रांक—1703 दिनांक 01.10.2024 द्वारा प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स) के मतदाता सूची प्रकाशन का कार्यक्रम निर्गत है। **मतदाता सूची की तैयारी के लिए दिनांक 03.10.2024 कट—ऑफ तिथि निर्धारित की गयी है।** निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन दिनांक 09.10.2024 को किया जा चुका है। यह प्राधिकार के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। **प्रारूप मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने के लिए अथवा किसी प्रविष्टि से संबंधित संशोधन के लिए दिनांक 22.10.2024 तक निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰) —सह— प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में दावे/ आपत्ति दाखिल किये जा सकेंगे।**

- मतदाता सूची से नाम हटाने अथवा जोड़ने के संबंध में **प्रपत्र—एम॰ 3** में सभी साक्ष्यों के साथ निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰) के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।
- वैसे व्यक्ति, जो अपने से जुड़े किसी प्रविष्टि में सुधार कराना चाहते हैं, वे **प्रपत्र—एम॰ 4** में सभी साक्ष्य के साथ आपत्ति दे सकते हैं।

उपर्युक्त दोनों पत्र तथा दोनों प्रपत्र निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰) के कार्यालय एवं प्राधिकार के वेबसाइट https://bsea.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। **एक प्रपत्र में एक ही व्यक्ति के संबंध में दावा/ आपत्ति दायर की जा सकती है।**

अतः सभी मतदाताओं को सलाह दी जाती है कि दिनांक 09.10.2024 को अपने प्रखंड कार्यालय में प्रकाशित एवं प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन कर लेंगे। प्रारूप मतदाता सूची में सुधार हेतु उपर्युक्त विहित प्रपत्र में दिनांक 22.10.2024 तक की अवधि में आपत्ति दर्ज कराएँगे। दर्ज आपत्ति पर निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰) द्वारा आवेदन की सुनवाई कर मुखर आदेश पारित किया जायेगा। **आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात् निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिनांक 25.10.2024 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जायेगा। इस अवधि में प्राधिकार में की जाने वाली शिकायत विचारणीय नहीं होगी।**

ह0/—
सचिव